E-mail: research@csjmu.ac.in
E-mail: phdinfo@csjmu.ac.in

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208024

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा ग्रेड A++ प्राप्त एवं यू.जी.सी. श्रेणी– I विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly known as Kanpur University, Kanpur)

Ref. No. CSJMU/R&D/2429/2026 **Date: 30/07/2026**

अति–आवश्यक सार्वजनिक सूचना

विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को फुल टाइम से पार्ट–टाइम में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में

आदेशानुसार ऐसे सभी शोधार्थी, जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. पाठयक्रम में फुल–टाइम शोधार्थी के रूप में पंजीकृत हैं तथा किसी महाविद्यालय/संस्था में नियमित/पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं, यदि उन्होंने अभी तक अपने पी–एच.डी. पंजीकरण को पार्ट–टाइम में परिवर्तित नहीं कराया है, तो उन्हें सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना प्रकरण अविलम्ब पार्ट–टाइम में परिवर्तित कराना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय में नियमित एवं पूर्णकालिक रूप से कार्यरत होने के कारण संबंधित शोधार्थी का पी–एच.डी पंजीकरण पार्ट–टाइम में होना अपेक्षित है। अतः ऐसे सभी संबंधित शोधार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना के निर्गमन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर फुल टाइम से पार्ट–टाइम में Conversion हेतु अपना आवेदन समस्त आवश्यक अभिलेखों तथा संबंधित शोध–पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष/निदेशक की संस्तुति सहित शोध एवं विकास प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किए जाएँ :–

1. पी–एच.डी. पंजीकरण/नामांकन पत्र की प्रति।
2. विश्वविद्यालय/संस्था में नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रमाण–पत्र।
3. नियुक्ति की तिथि एवं पी–एच.डी. पंजीकरण की तिथि का विवरण।
4. संबंधित शोध–पर्यवेक्षक की संस्तुति।
5. विभागाध्यक्ष/निदेशक की संस्तुति।
6. फुल–टाइम से पार्ट–टाइम में Conversion हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र।
7. विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य संबंधित अभिलेख।

निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने अथवा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न कराने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित शोधार्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर Conversion की कार्यवाही पूर्ण न कराने वाले शोधार्थियों के संबंध में Research Advisory Committee, Pre-Ph.D. Seminar, Synopsis Submission, Thesis Submission, Viva-Voce Examination, Degree Award तथा अन्य शोध–संबंधी अनुमतियों पर विचार स्थगित किया जा सकता है।

क्रमश....02

E-mail: research@csjmu.ac.in **E-mail:** phdinfo@csjmu.ac.in

यदि सक्षम स्तर पर परीक्षण के उपरांत यह पाया जाता है कि संबंधित शोधार्थी ने विश्वविद्यालय के निर्देशों के बावजूद निर्धारित अवधि में अपने पी–एच.डी. पंजीकरण की स्थिति का Conversion पूर्ण नहीं कराया है, तो उसका प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके पी–एच.डी. पंजीकरण एवं शोध–संबंधी अनुमतियों के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक बाधा के लिए संबंधित शोधार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यह सूचना विश्वविद्यालय में पंजीकृत सभी संबंधित शोधार्थियों पर समान रूप से लागू होगी तथा विश्वविद्यालयीय अभिलेखों की शुद्धता, शोधार्थी–स्थिति की एकरूपता एवं लागू नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी की जा रही है।

समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संबंधित विभाग/संस्थान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक शोधार्थियों को इस सूचना से अवगत कराते हुए निर्धारित समय –सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।

अधिष्ठाता
शोध एवं विकास प्रकोष्ठ

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, सी.एस.जे.एम.वि.वि. कानपुर।
2. निजी सचिव कुलपति जी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम.वि.वि. कानपुर।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

अधिष्ठाता
शोध एवं विकास प्रकोष्ठ